बिहार विधान सभा

की

शून्यकाल समिति

का

106वाँ प्रतिवेदन

(सहकारिता विभाग)

(बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति द्वारा प्रकाशित)

(दिनांक 19-02-24 ई० को सदन में उपस्थापित) ।

विषय-सूची

		पृष्ठ
1.	शून्यकाल समिति के सदस्यों तथा शून्यकाल समिति शाखा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची ।	क
2.	प्राक्कथन	ख
3.	प्रतिवेदन	1–3
4.	परिशिष्ट	4–18

बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति के सदस्यों की सूची--

सभापति

1.	श्री नीतीश मिश्रा	स०वि०स०

सदस्यगण

1.	श्री निरंजन राय	स०वि०स०
2.	श्री लखेन्द्र कुमार रौशन	स०वि०स०
3.	श्री राजेश कुमार सिंह	स०वि०स०
4.	श्री सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन	स०वि०स०
5.	श्री कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया	स०वि०स०
6.	श्री अरूण सिंह	स०वि०स०
7.	श्री आलोक रंजन	स०वि०स०
8.	श्री देवेश कांत सिंह	स०वि०स०
9.	श्री केदार प्रसाद गुप्ता	स०वि०स०
10.	श्री नीरज कुमार सिंह	स०वि०स०

सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सूची--

1.	श्री पवन कुमार पांडेय	प्रभारी सचिव
2.	श्री असीम कुमार	निदेशक
3.	श्रीमती अनुपमा प्रसाद	उप-सचिव
4.	श्री सुधांशु राय	प्रशाखा पदाधिकारी
5.	श्रीमती सुषमा	सहायक
6.	श्रीमती उषा कुमारी	सहायक
7.	श्री संजय भारती	सहायक

प्राक्कथन

मैं, सभापति, शून्यकाल समिति, बिहार विधान सभा, पटना की हैसियत से सप्तदश बिहार विधान सभा में सहकारिता विभाग से संबंधित द्वितीय सत्र से अष्ठम सत्र के विभिन्न तिथियों में माननीय सदस्य श्री मिथिलेश कुमार, स०वि०स०, श्री हरिभूषण ठाकुर "बचोल", स०वि०स०, श्री रणविजय साहू, स०वि०स०, श्री संदीप सौरभ, स०वि०स०, डॉ० निक्की हेम्ब्रम, स०वि०स०, मोहम्मद अनजार नईमी, स०वि०स०, श्री पवन कुमार जायसवाल, स०वि०स०, श्री अजय कुमार सिंह, स०वि०स०, श्री ललन कुमार, स०वि०स०, श्री गोपाल रविदास, स०वि०स० एवं श्री सूर्यकान्त पासवान, स०वि०स० द्वारा सदन में लाये गये शून्यकाल सूचनाओं पर शून्यकाल समिति का 106वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

सहकारिता विभाग से संबंधित उपर्युक्त माननीय सदस्यों से प्राप्त शून्यकाल सूचनाओं के निष्पादन में विभागीय पदाधिकारियों ने अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया है।

अंत में प्रतिवेदन तैयार करने में समिति के सभी माननीय सदस्यों तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिन्होंने व्यक्तिगत रूचि लेकर यह कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न किया है, को भी मैं धन्यवाद देता हूँ ।

नीतीश मिश्रा
सभापति,
शून्यकाल समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

प्रतिवेदन

प्रतिवेदन

सहकारिता विभाग से संबंधित प्रतिवेदन

सतरहवीं बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र से अष्टम सत्र तक में सहकारिता विभाग से संबंधित माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये शून्यकाल सूचनाओं की संख्या 18 है, जिसमें से कुल 07 शून्यकाल सूचनाओं को अन्य संबंधित विभाग को हस्तान्तरित किया गया है। शेष कुल 11 शून्यकाल सूचनाओं में से सभी का कार्यान्वयन प्रतिवेदन बिहार विधान सभा को प्राप्त हो गया है। शून्यकाल समिति की दिनांक 31 अगस्त, 2023 की विभागीय बैठक में सभी कुल 11 शून्यकाल सूचनाओं के उत्तर को समीक्षोपरान्त कार्यान्वित माना गया है। जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:--

क्र० सं०	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/ दिनांक।	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक एवं दिनांक।
1	श्री मिथिलेश कुमार	सीतामढ़ी जिला के किसानों को धान क्रय केन्द्र द्वारा कृतिम बाधा देने के प्रयास को तिरोहित करने का निदेश देने के संबंध में।	01.12.2021	31/21-3521 31.12.2021	सहकारिता विभाग के ज्ञापांक 330, दिनांक 01 फरवरी, 2022 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-01)
2	श्री हरिभूषण ठाकुर "बचौल"	मधुबनी जिलान्तर्गत किसानों से धान अधिप्राप्ति की स्थिति संतोषजनक नहीं है। करीब 50 प्रतिशत किसानों का धान भी पैक्स/व्यापार मंडल के माध्यम से क्रय नहीं किया गया है। धान अधिप्राप्ति का समय-सीमा 31 मार्च, 2022 तक बढ़ायी जाने की माँग के संबंध में।	02.03.2022	03/22-925 11.03.2022	सहकारिता विभाग के ज्ञापांक 3821, दिनांक 21 नवम्बर, 2022 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-02)
3	श्री रणविजय साह	निबंधक कॉपरेटिव बिहार का पद गत तीन माह से रिक्त है, धान अधिप्राप्ति से लेकर फसल सहायता पद की योजना आम किसानों से जुड़ी हैं। ऐसे में निबंधक का पद तीन माह तक खाली रखना सरकार की कृषि एवं किसानों के प्रति उपेक्षा का द्योतक है। शीघ्र निबंधक की पदस्थापना करने के संबंध में ।	09.03.2022	08/22-1617 18.04.2022	सहकारिता विभाग के ज्ञापांक 12245, दिनांक 20 जुलाई, 2022 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-03)
4	श्री संदीप सौरभ	धान उपज का रकबा कम आंकने, उपज का केवल 50% खरीदारी लक्ष्य रखने तथा लक्ष्य के अनुसार पैक्स को CC नहीं देने के कारण पटना जिलान्तर्गत पालीगंज और दुल्हिनबाजार प्रखण्ड के हजारों किसानों का धान नहीं खरीदा गया। उच्चस्तरीय जाँच तथा अविलंब किसानों के धान खरीदारी की माँग के संबंध में।	02.03.2022	03/22-931 11.03.2022	सहकारिता विभाग के ज्ञापांक 3932, दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-04)
5	डॉ० निक्की हेम्ब्रम	राज्य में ऑनलाइन के माध्यम से किसानों को पंजीकरण करने के बाद पैक्स अध्यक्ष के पास जाता है जिसमें पैक्स अध्यक्ष मनचाहा किसानों को सदस्य बनाता है। जबकि निष्पक्ष चुनाव हेतु पंजीकृत किसानों से आम चुनाव की भाँति पैक्स अध्यक्ष का चुनाव कराने की माँग के संबंध में ।	09.03.2022	08/22-1649 18.04.2022	सहकारिता विभाग के ज्ञापांक 2238, दिनांक 27 जून, 2022 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-05)

6.	मोहम्मद अनजार नईमी	जिला किशनगंज अन्तर्गत समेसर पैक्स द्वारा करोड़ों की राशि का बंदरबांट करने का मामला प्रकाश में आया है। खाता धारक आत्महत्या करने को विवश हो गया है। संबंधित दोषियों के खिलाफ जाँच करने तथा दोषी पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में ।	17.03.2021	18/21-1518 03.06.2021	सहकारिता विभाग के ज्ञापांक 1925, दिनांक 28 जुलाई, 2021 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-06)।
7.	श्री पवन कुमार जायसवाल	पूर्वी चम्पारण जिला के चिरैया प्रखण्ड में राधोपुर पैक्स का वर्ष 2017-18 में विद्युत् चलित राईस मिल सहित 500 मे० टन गोदाम की स्वीकृति जिला टास्क फोर्स से मिली थी। परन्तु राशि अप्राप्त है। राज्य सरकार से वर्तमान लागत अनुसार पुनरीक्षित दर पर प्राक्कलन् अनुसार राधोपुर पैक्स को राईस मिल सहित 500 मे०टन गोदाम का राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।	17.03.2021	18/21-1517 03.06.2021	सहकारिता विभाग के ज्ञापांक 1870, दिनांक 24 जुलाई, 2021 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-07)।
8.	श्री अजय कुमार सिंह	धान की अधिप्राप्ति की तिथि 21 फरवरी, 2021 निर्धारित थी, मुंगेर जिला में 11 हजार किसान पंजीकृत् है जिसमें 7 हजार किसान अबतक धान दे पाये हैं यही स्थिति पूरे बिहार की है। धान अधिप्राप्ति की तिथि 31 मार्च तक किये जाने की माँग के संबंध में।	23.02.2021	03/21-514 01.03.2021	सहकारिता विभाग के ज्ञापांक 840, दिनांक 12 मार्च, 2021 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-08)।
9.	श्री ललन कुमार	भागलपुर के पीरपैंती प्रखण्ड मुख्यालय में 5000 (पाँच हजार) मिट्रिक टन (एम०टी०) क्षमता वाला फैक्स सी०एम० आर० गोदाम बनवाने की माँग के संबंध में।	24.03.2021	22/21-1516 03.06.2021	सहकारिता विभाग के ज्ञापांक 2189, दिनांक 19 अगस्त, 2021 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-09)।
10.	श्री गोपाल रविदास	पटना जिला के सम्पूर्ण प्रखण्डों में सब्जी उत्पादकों के लिये मार्केट और स्टोर निर्माण की माँग के संबंध में।	03.12.2021	33/21-3341 17.12.2021	सहकारिता विभाग के ज्ञापांक 316, दिनांक 01 फरवरी, 2022 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-10)।
11.	श्री सूर्यकान्त पासवान	जिला सहकारिता पदाधिकारी, बेगूसराय पर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, बेगूसराय के प्रबंध निदेशक पद पर रहते हुये भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे मगर विभाग से कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुयी है। उक्त पदाधिकारी पर जाँचोपरांत कार्रवाई की माँग के संबंध में।	28.03.2023	23/23-1546 15.05.2023	कार्यालय निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार के पत्रांक 6545, दिनांक 30 अगस्त, 2023 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-11)।

उपर्युक्त शून्यकाल सूचनाओं के आलोक में प्राप्त विभागीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन की समीक्षा शून्यकाल समिति की दिनांक 31 अगस्त, 2023 की विभागीय बैठक में की गयी, जिसे समिति द्वारा संतोषप्रद पाया गया है। जिसके आलोक में इसे निष्पादित मान लिया गया है।

निष्कर्ष

क्रमांक 01 से 11 तक पर उल्लिखित माननीय सदस्यों द्वारा सदन में पूछे गये शून्यकाल सूचनाओं को विभागीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन के आलोक में निष्पादित किया जाता है।

सभापति,

नीतीश मिश्रा,
शून्यकाल समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट–I

श्री मिथिलेश कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना से संबंधित उत्तर

शून्यकाल सूचना

सीतामढ़ी जिला के किसानों को धान क्रय केन्द्र द्वारा कृत्रिम बाधा देने के प्रयास को तिरोहित करने का निदेश सरकार से संबंधित विभागों को दें ।

सहकारिता विभाग का शून्यकाल सूचना पर उत्तर

वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला के किसानों को धान क्रय केन्द्र द्वारा कृत्रिम बाधा देने के प्रयास को तिरोहित करने के उद्देश्य से अबतक 223 पैक्सों एवं 6 व्यापार मंडलों का चयन किया गया है। जिसमें से 220 पैक्स एवं 6 व्यापार मंडल क्रियाशील है एवं उनके द्वारा अबतक 4285 रैयत किसान से 29434.62 मे०टन तथा 2653 गैर-रैयत किसानों से 17401.63 मे०टन अर्थात कुल 6938 किसानों से 46836.25 मे०टन धान की अधिप्राप्ति की गयी है तथा अबतक कुल 79.75 करोड़ की राशि किसानों को भुगतान की गयी है। इस प्रकार निर्बाधित किसान निर्बाध रूप से अपना धान पैक्स एवं व्यापार मंडल के क्रय केन्द्र पर बेच रहे हैं। किसानों के समस्याओं/शिकायतों के त्वरित निष्पादन हेतु विभाग स्तर पर सुगम कॉल सेन्टर की स्थापना की गयी है।

श्री मिथिलेश कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना से संबंधित उत्तर--

शून्यकाल सूचना

सीतामढ़ी जिला के किसानों को धान क्रय केन्द्र द्वारा कृत्रिम बाधा देने के प्रयास को तिरोहित करने का निदेश सरकार से संबंधित विभागों को दें ।

सहकारिता विभाग का शून्यकाल सूचना पर अनुपूरक उत्तर

खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में सीतामढ़ी जिलान्तर्गत धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 101000 मे०टन के विरुद्ध निर्धारित समय-सीमा तक 15271 किसानों से 100830.11 मे०टन धान की अधिप्राप्ति की गयी तथा राज्य खाद्य निगम को 67445.39 मे०टन सी०एम०आर० (चावल) की आपूर्ति की गयी।

खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में सीतामढ़ी जिलान्तर्गत धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 123407 मे०टन के विरुद्ध निर्धारित समय-सीमा तक 16940 किसानों से 113675.35 मे०टन धान की अधिप्राप्ति की गयी तथा राज्य खाद्य निगम को 69816.14 मे०टन सी०एम०आर० (चावल) की आपूर्ति दिनांक 31 अगस्त, 2023 तक की गयी है।

परिशिष्ट–II

श्री हरिभूषण ठाकुर "बचोल", माननीय सदस्य बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर--

शून्यकाल सूचना

मधुबनी जिलान्तर्गत किसानों से धान अधिप्राप्ति की स्थिति संतोषजनक नहीं है। करीब 50 प्रतिशत किसानों का धान आज भी पैक्स/व्यापार मंडल के माध्यम से क्रय नहीं किया गया है। धान अधिप्राप्ति का समय-सीमा 31 मार्च, 2022 तक बढ़ायी जाने के संबंध में ।

उत्तर

खरीफ विपणन मौसम 2021-22 अन्तर्गत मधुबनी जिला में पैक्स/व्यापार मंडल के माध्यम से जिले में धान अधिप्राप्ति हेतु 85000 मे०टन लक्ष्य दिया गया था ।

उक्त लक्ष्य के आलोक में निर्धारित अवधि तक कुल 15787 किसानों से 84996.10 मे०टन धान की अधिप्राप्ति की गयी है, जो लक्ष्य का लगभग शत-प्रतिशत है। सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में धान अधिप्राप्ति की निर्धारित अंतिम अवधि दिनांक 15 फरवरी, 2022 ही रही, जो सम्प्रति समाप्त हो चुकी है।

परिशिष्ट–III

श्री रणविजय साहू, माननीय सदस्य, स०वि०स० द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के पंचम सत्र में दिनांक 9.03.2022 को सदन में प्रस्तुत शून्यकाल की सूचना–

निबंधक कॉपरेटिव बिहार का पद गत तीन माह से रिक्त है, धान अधिप्राप्ति से लेकर फसल सहायता पद की योजना आम किसानों से जुड़ी है, ऐसे में निबंधक का पद तीन माह तक खाली रखना सरकार की कृषि एवं किसानों के प्रति उपेक्षा का द्योतक है। सरकार शीघ्र निबंधक की पदस्थापना करे।

सरकार का वक्तव्य

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 6882, दिनांक 07 मई, 2022 द्वारा श्री वैद्यनाथ यादव, भा०प्र०से० (2007) को निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जा चुका है।

परिशिष्ट–IV

श्री संदीप सौरभ, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर

शून्यकाल सूचना

धान उपज का रकबा कम आंकने, उपज का केवल 50% खरीदारी लक्ष्य रखने तथा लक्ष्य के अनुसार पैक्स को CC नहीं देने के कारण पटना जिलान्तर्गत पालीगंज और दुल्हिनबाजार प्रखंड के हजारों किसानों का धान नहीं खरीदा गया। उच्चस्तरीय जाँच तथा अविलंब किसानों के धान खरीदारी की माँग के संबंध में ।

उत्तर

वस्तुस्थिति यह है कि खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा पटना जिला को 2.94 लाख मे०टन लक्ष्य आवंटित किया गया था, जो जिला कृषि पदाधिकारी, पटना से प्राप्त रकबा एवं उपज के आधार पर जिला टास्क फोर्स द्वारा प्रखंडों को समानुपातिक रूप से आवंटित किया गया।

उक्त धान अधिप्राप्ति मौसम में पटना जिला को प्रदत्त लक्ष्य में से पालीगंज प्रखड को 44352 मे०टन एवं दुल्हिनबाजार प्रखंड को 19400 मे०टन लक्ष्य का आवंटन किया गया था। समितियों को दिये गये आवश्यक कैश-क्रेडिट राशि से पालीगंज प्रखंड में 6934 किसानों से 44940.84 मे०टन (लक्ष्य का शत-प्रतिशत) तथा दुल्हिनबाजार प्रखंड में 3273 किसानों से 20329.96 मे०टन (लक्ष्य का शत-प्रतिशत) धान का क्रय किया गया है एवं निर्धारित समय-सीमा के तहत उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उनके खातों में कर दिया गया है।

परिशिष्ट–V

डॉ० निक्की हेम्ब्रम, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा प्राप्त शून्यकाल सूचना का प्रश्नोत्तर--

प्रश्न

राज्य में ऑनलाइन के माध्यम से किसानों को पंजीकरण करने के बाद पैक्स अध्यक्ष के पास जाता है जिसमें पैक्स अध्यक्ष मनचाहा किसानों को सदस्य बनाता है। जबकि निष्पक्ष चुनाव हेतु पंजीकृत किसानों से आम चुनाव की भाँति पैक्स अध्यक्ष का चुनाव कराने की माँग करती हूँ ।

उत्तर

प्रभारी मंत्री--पैक्स, बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 की धारा 11 के तहत निर्बंधित एक सहकारी समिति एवं उक्त अधिनियम की धारा 13 के तहत एक निगम निकाय है। बिहार सहकारी सोसाईटी नियमावली, 1959 के नियम 8 में निर्धारित पात्रता रखने वाले इच्छुक व्यक्ति पैक्स सदस्य बन सकते हैं। उक्त नियमावली के नियम 7 के आलोक में पैक्सों में सदस्यता प्रदान करने हेतु पैक्स की प्रबंध समिति सक्षम प्राधिकार है।

उपर्युक्त के आलोक में पैक्स सदस्य बनने हेतु पात्र व्यक्यिों को बिहार सहकारी सोसाईटी नियमावली, 1959 में निर्धारित प्रपत्र में संबंधित पैक्स के समक्ष आवेदन करना है तथा पैक्स की प्रबंधकारिणी को आवेदन प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर उक्त आवेदन पर निर्णय लेना है। पैक्सों में सदस्यता आवेदन करने के संदर्भ में सहजता तथा पारदर्शिता के दृष्टिगत ऑनलाइन सदस्यता ऐप विकसित की गयी है। जिसके माध्यम से कोई भी पात्र इच्छुक व्यक्ति आवेदन करने हेतु सक्षम है। पुनः पैक्स प्रबंधकारिणी द्वारा सदस्यता आवेदन-पत्र के अस्वीकृति की स्थिति में नियमावली के नियम 7(2) अन्तर्गत 60 दिनों के अन्दर निबंधक के पास नियमानुसार अपील दायर करने का प्रावधान है।

पैक्स के प्रबंध समिति के सदस्यों (अध्यक्ष सहित) का निर्वाचन, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा अपने निदेशन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में निष्पक्ष तरीके से कराया जाता है।

परिशिष्ट–VI

श्री मोहम्मद अनजार नईमी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना का वक्तव्य :-

शून्यकाल सूचना

जिला किशनगंज अन्तर्गत समेसर पैक्स द्वारा करोड़ों की राशि का बंदरबाँट करने का मामला प्रकाश में आया है। खाता धारक आत्महत्या करने को विवश हो गया है।

मैं संबंधित दोषियों के खिलाफ जाँच करने तथा दोषी पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई की माँग करता हूँ ।

वक्तव्य

जिला सहकारिता पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि समेसर पैक्स, प्रखण्ड बहादुरपुर, जिला-किशनगंज के अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं निरीक्षण/जाँच प्रतिवेदन के आलोक में पैक्स में 2,84,56,653 (दो करोड़ चौरासी लाख छप्पन हजार छह सौ तिरपन) रुपया के गबन दुरूपयोग, दुर्विनियोग के लिये तत्कालीन पैक्स अध्यक्षों, पैक्स प्रबंधक, कैशियर, सहायक, एजेन्ट ऋणधारकों के साथ-साथ तत्कालीन प्रशासक-सह-प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी एवं तत्कालीन सहायक निबंधक-सह-जिला सहकारिता पदाधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक 427, दिनांक 20 अप्रील, 2019 द्वारा थानाध्यक्ष, बहादुरगंज से किये गये अनुरोध के आलोक में बहादुरगंज थाना काण्ड संख्या 114/19, दिनांक 26 अप्रील, 2019 की प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

साथ ही, समेसर पैक्स में वित्तीय अनियमितता के संदर्भ में निगरानी थाना काण्ड संख्या 79/2009, दिनांक 30 जुलाई, 2009 के माध्यम से भी प्राथमिकी दर्ज है। इस मामले में आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदत्त है। उक्त आलोक में तत्कालीन पैक्स अध्यक्ष जेल भी गये हैं तथा तत्कालीन पैक्स प्रबंधक श्री सुखदेव सिंह, जो सरकारी सेवा में समायोजित हो गये थे, वे सेवा से बर्खास्त हो चुके हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी, किशनगंज के यहां ऋणधारकों से 62.47 लाख रु० की वसूली हेतु कुल 46 नीलाम-पत्र वाद दायर है, जिसमें से 34 लाख रु० की वसूली भी हुयी है। शेष ऋण वितरित/गबनित राशि के लिये संबंधित दोषी व्यक्तियों पर जिम्मेवारी तय करते हुये राशि वसूली करने हेतु जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, किशनगंज द्वारा न्यायालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना में एवार्ड दायर किया गया है।

परिशिष्ट–VII

श्री पवन कुमार जायसवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में शून्यकाल सूचना से संबंधित वक्तव्य–

शून्यकाल सूचना

पूर्वी चम्पारण जिला के चिरैया प्रखंड में राधोपुर पैक्स का वर्ष 2017-18 में विद्युत् चालित राईस मिल सहित 500 मे०टन गोदाम की स्वीकृति जिला टास्क फोर्स से मिली थी परंतु राशि अप्राप्त है।

श्री सुबाष सिंह, माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग का शून्यकाल सूचना पर वक्तव्य–

वस्तुस्थिति यह है कि आर०के०भी०वाई० योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्वी चम्पारण जिला के चिरैया प्रखंड में राधोपुर पैक्स को विभाग द्वारा चावल मिल की स्थापना हेतु राशि उपलब्ध करा दिया गया है तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा इस संबंध में समिति को कार्यादेश भी निर्गत किया जा चुका है। निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

राधोपुर पैक्स में 500 मे०टन क्षमता के गोदाम निर्माण के लिये पैक्स द्वारा विभागीय निदेश के आलोक में किसी प्रकार की भूमि उपलब्धता की सूचना के साथ आवेदन/प्रस्ताव जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है। फलस्वरूप विभाग द्वारा राशि उपलब्ध कराने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री पवन कुमार जायसवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना से संबंधित उत्तर--

शून्यकाल सूचना

पूर्वी चम्पारण जिला के चिरैया प्रखंड में राधोपुर पैक्स का वर्ष 2017-18 में विद्युत् चालित राईस मिल सहित 500 मे० टन गोदाम की स्वीकृति जिला टास्क फोर्स से मिली थी परंतु राशि अप्राप्त है।

सहकारिता विभाग का शून्यकाल सूचना पर अनुपूरक उत्तर

पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिला अन्तर्गत चिरैया प्रखंड के राधोपुर पैक्स में 02 मे०टन विद्युत् आधारित चावल मिल पूर्णरूपेण स्थापित एवं कार्यरत है।

पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिला अन्तर्गत चिरैया प्रखंड के राधोपुर पैक्स में 500 मे०टन गोदाम निर्माण हेतु जिलास्तरीय चयन समिति से चयनित कर प्रस्ताव अबतक अप्राप्त है।

परिशिष्ट–VIII

श्री अजय कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में शून्यकाल सूचना से संबंधित वक्तव्य –

शून्यकाल सूचना

धान की अधिप्राप्ति की तिथि 21 फरवरी, 2021 निर्धारित थी, मुंगेर जिला में 11 हजार किसान पंजीकृत है, जिसमें से 07 हजार किसान अबतक धान दे पाये हैं, यही स्थिति पूरे बिहार की है।

अत: सरकार से धान अधिप्राप्ति की तिथि 31 मार्च तक किये जाने की माँग करता हूँ।

वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि खरीफ विपणन मौसम 2020-21 अन्तर्गत राज्य का धान अधिप्राप्ति हेतु सांकेतिक लक्ष्य 45 लाख मे०टन निर्धारित (मुंगेर जिला का सांकेतिक लक्ष्य 60 हजार मे०टन) किया गया है। इस वर्ष अधिप्राप्ति कार्य कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित किसानों के माध्यम से किया गया है। मुंगेर जिले के 11014 किसानों द्वारा धान अधिप्राप्ति हेतु इच्छा प्रकट की गयी थी, जिसमें से 8507 किसानों द्वारा 46,279.87 मे०टन धान की आपूर्ति निर्धारित समय सीमान्तर्गत पैक्स/व्यापार मंडलों को की गयी है। उसी तरह राज्य में 6.67 लाख किसानों ने धान अधिप्राप्ति हेतु इच्छा प्रकट की थी, जिसमें से 4,97,125 किसानों से 35.59 लाख मे०टन (औपबंधिक) धान निर्धारित समय सीमान्तर्गत पैक्स/व्यापार मंडलों को उपलब्ध कराया गया है, जो गत वर्षों में प्राप्त की गयी उपलब्धि से अत्यधिक है।

इस वर्ष अधिप्राप्ति कार्य के सफल संचालन हेतु माह नवम्बर से ही सघन रूप से अधिप्राप्ति कार्य प्रारंभ कराया गया। साथ ही सरकार द्वारा माह दिसम्बर एवं जनवरी में किसान सलाहकारों के माध्यम से प्रत्येक किसान की इच्छा प्राप्त कर सूची तैयार करायी गयी। उक्त सूची में सम्मिलित लगभग सभी किसानों (मुंगेर जिले में किसान सलाहकारों द्वारा सर्वेक्षित इच्छुक किसानों का शत-प्रतिशत धान क्रय किया गया है) का धान निर्धारित समय-सीमा अन्तर्गत पैक्स/व्यापार मंडलों के माध्यम से अधिप्राप्ति कराया जा चुका है। इसलिये सरकार धान अधिप्राप्ति की अवधि विस्तार करने की इच्छा नहीं रखती है।

परिशिष्ट–IX

श्री ललन कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में शून्यकाल सूचना से संबंधित वक्तव्य–

"भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड मुख्यालय में सरकार से 5000 (पाँच हजार) मीट्रिक टन (एम०टी०) क्षमता वाला पैक्स सी०एम०आर० गोदाम बनवाने की माँग करता हूँ।

श्री सुबास सिंह, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग का शून्यकाल सूचना पर वक्तव्य–

सहकारिता विभाग अंतर्गत राज्य योजना के तहत 200, 500 एवं 1000 मे०टन क्षमता के ही गोदाम का निर्माण कराया जाता है। विभाग द्वारा पैक्स/व्यापार मंडलों में 5000 मे०टन क्षमता के गोदाम निर्माण कराने की कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

परिशिष्ट–X

श्री गोपाल रविदास, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर–

शून्यकाल सूचना

पटना जिला के सम्पूर्ण प्रखंडों में सब्जी उत्पादकों के लिये मार्केट और स्टोर निर्माण की माँग करता हूँ।

उत्तर

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अन्तर्गत प्रखंड स्तर पर गठित प्राथमिक सब्जी उत्पादक समितियों (PVCS) में सब्जी संग्रहण एवं मंडी हेतु आधारभूत संरचना के निर्माण का प्रावधान किया गया है। परन्तु PVCS में उक्त आधारभूत संरचना निर्माण हेतु आवश्यक भूमि PVCS द्वारा स्वयं उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

उल्लेखनीय है कि जिन प्रखण्डों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति द्वारा भूमि उपलब्ध कराया गया है वहां आधारभूत संरचना के निर्माण संबंधित प्रक्रिया प्रारंभ है। पटना जिला के पालीगंज एवं विक्रम प्रखण्ड में सब्जी संग्रहण एवं मंडी/आधारभूत संरचना बनकर तैयार है, शेष प्रखण्डों में भूमि उपलब्धता हेतु प्रयास किया जा रहा है।

श्री गोपाल रविदास, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना से संबंधित उत्तर–

शून्यकाल सूचना

पटना जिला के सम्पूर्ण प्रखण्डों में सब्जी उत्पादकों के लिये मार्केट और स्टोर निर्माण की मांग करता हूँ।

सहकारिता विभाग का शून्यकाल सूचना पर अनुपूरक उत्तर–

हरित संघ पटना द्वारा पटना जिलान्तर्गत 07 PVCS यथा पालीगंज, बिक्रम, पुनपुन, नौबतपुर, बेलछी, दनियावां एवं घोसवरी में भूमि उपलब्ध कराने के पश्चात निगम द्वारा निविदा प्रकाशित की गयी। योजना अन्तर्गत प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) में आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु प्रति इकाई 39.60 लाख रुपये की दर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त है।

निगम द्वारा 02 PVCS यथा पालीगंज एवं बिक्रम में आधारभूत संरचना निर्माण कार्य कर संबंधित PVCS को हस्तांतरित किया जा चुका है। 02 PVCS यथा पुनपुन एवं नौबतपुर में स्थल समस्याग्रस्त होने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका एवं 03 PVCS यथा बेलछी, दनियावां एवं घोसवरी में आधारभूत संरचना निर्माण हेतु शेड का संशोधित नक्शा प्रशासी विभाग से अनुमोदन की माँग एवं नये SOR के प्रभावी होने के कारण प्राक्कलन में पुनरीक्षण की माँग की जा रही है।

वर्तमान में योजना का अवधि विस्तार प्रक्रियाधीन है। योजना के अवधि विस्तारोपरांत शेष PVCS में जहां भूमि उपलब्ध है, निर्माण कार्य करायी जायेगी।

परिशिष्ट–XI

पत्रांक 6545

कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

प्रेषक

शशि शेखर सिन्हा,
संयुक्त निबंधक (मु०),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
सहकारिता विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 30 अगस्त, 2023(ई०)।

विषय–श्री सूर्यकान्त पासवान, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल की सूचना उत्तर सामग्री के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित मामले के संबंध में उत्तर सामग्री तैयार कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनुलग्नक–यथोपरि।

विश्वासभाजन,
शशि शेखर सिन्हा,
संयुक्त निबंधक (मु०),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना ।

श्री सूर्यकान्त पासवान, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल की सूचना–

जिला सहकारिता पदाधिकारी, बेगूसराय पर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, बेगूसराय के प्रबंध निदेशक पद पर रहते हुये भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे, मगर विभाग से कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुयी है।

अतः उक्त पदाधिकारी पर जाँचोपरांत कार्रवाई की माँग सरकार से करता हूँ।

उत्तर प्रतिवेदन

वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, बेगूसराय के कार्य संचालन में तत्कालीन प्रबंध निदेशक, श्री ललन कुमार शर्मा एवं बैंक बोर्ड में प्रबंधन के विषय पर विवाद के दृष्टिगत कई परिवाद प्राप्त हुये । इस मामले के संबंध में बैंक के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका भी दायर किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No. 14136, दिनांक 10 नवम्बर, 2022 पारित आदेश दिनांक 10 नवम्बर, 2022 के आलोक में सहकारिता विभाग के आदेश ज्ञापांक 204, दिनांक 24 जनवरी, 2023 द्वारा श्री ललन कुमार शर्मा को बैंक के प्रबंध निदेशक के प्रभार से मुक्त कर दिया गया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, अध्यक्ष बेगूसराय सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि० एवं अन्य व्यक्तियों/माध्यमों से प्रबंध निदेशक, बेगूसराय सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि० के विरुद्ध प्राप्त परिवाद-पत्र के आलोक में मामले की जाँच हेतु संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर एवं संयुक्त निबंधक (अंके०) सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर का संयुक्त जाँच दल कार्यालय पत्रांक 9919, दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 द्वारा गठित किया गया है। तद्नुसार जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2024